अनुस्मारक–प्रथम / अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशाम्बी

पत्रांक 801- / पं0 / डी0पी0सी0 / 2021–22 दिनांक 30/ 06 / 2021

समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0)
जनपद–कौशाम्बी।

विषयः–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव हेतु तैनात कर्मियों के मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में।

अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–1758 / 33–3–2020–31 / 2019 पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 15 जुलाई, 2020 में 07 बिन्दुओं पर दिये गये निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्र संख्या–2541 दिनांक 25.08.2020 द्वारा आपको अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 10.06.2021 को आहूत बैठक में उपायुक्त, (स्वतः रोजगार), कौशाम्बी द्वारा अवगत कराया गया कि 189 स्वयं सहायता समूह की महिला कर्मियों को जिन सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव हेतु रखा गया है, उनके मानदेय का भुगतान न होंने के कारण उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है एवं पूरे मनोयोग से कार्य किये जाने में कठिनाई आ रही है।

पुनः अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–977 / 33–3–2021–31 / 2019 पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 10 जून, 2021 द्वारा उल्लिखित किया गया हैं कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित सामुदायिक शौचालयों के रख–रखाव हेतु तैनात कर्मी के मानदेय का भुगतान न होने की शिकायत मिल रही है। साथ ही सामुदायिक शौचालय के रख–रखाव हेतु तैनात स्वयं सहायता समूह की महिला कर्मी के मानदेय का भुगतान कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देश के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी ने अपने कार्यालय पत्र संख्या–627 दिनांक 11.06.2021 द्वारा आपको निर्देशित किया गया था कि **समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुये ग्राम पंचायतो में निर्मित समस्त सामुदायिक शौचालयो को स्वयं सहायता समूह को हस्तगत कराने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित सामुदायिक शौचालयो के रख–रखाव हेतु तैनात स्वयं सहायता समूह की महिला कर्मी के मानदेय का भुगतान तत्काल नियमानुसार कराना सुनिश्चित करें,** परन्तु अभी तक उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नही की गयी, जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्मित सामुदायिक शौचालयो के रख–रखाव हेतु तैनात कर्मियो के मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में समीक्षा की गयी, परन्तु प्रगति संतोषजनक न होने के फलस्वरूप कड़े रोष प्रकट करते हुये अपने कार्यालय पत्र संख्या–795 दिनांक 28.06.2021 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि आप अपना व्यक्तिगत ध्यान देते हुये अपने–अपने विकास खण्ड की समस्त ग्राम पंचायतो में लक्ष्य के सापेक्ष सामुदायिक शौचालयों का शत–प्रतिशत जिओ–टैग कराना सुनिश्चित करें तथा निर्मित सामुदायिक शौचालयो को स्वयं सहायता समूह को हस्तगत करायें एवं सामुदायिक शौचालायो के रख–रखाव हेतु निर्धारित

धनराशि मु0 9000.00 रू0 (नौ हजार रू0) प्रति सामुदायिक शौचालय की दर से प्रथम किश्त (छः माह हेतु) की धनराशि 02 दिवस के भीतर सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह के खाते में उपलब्ध कराते हुये सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन सामुदायिक शौचालयो को स्वयं सहायता समूह को हस्तगत कराया जाना है, उसका एक बार अपने स्तर से सत्यापन कर लें, यदि सामुदायिक शौचालयो में कोई कमियां पायी जाती है, तो उसे तत्काल ठीक कराते हुये स्वयं सहायता समूह को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित सामुदायिक शौचालयो के रख–रखाव हेतु तैनात स्वयं सहायता समूह की महिला कर्मी के मानदेय का भुगतान तत्काल नियमानुसार करायें। इसके अतिरिक्त सामुदायिक शौचालयो के रख–रखाव के सम्बन्ध में प्रत्येक माह सम्बन्धित विकास खण्ड के बी0एम0एम0 (ब्लॉक मिशन मैनेजर) स्वतः रोजगार एवं सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0) के साथ बैठक करते हुये समीक्षा की जाये।

30/06/2021

(बाल गोविन्द श्रीवास्तव)
जिला पंचायत राज अधिकारी,
o/c कौशाम्बी

पत्रांक 804 /दिनांकित।
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कौशाम्बी को इस निर्देश के साथ कि अपने आवंटित तहसील के विकास खण्डो में समीक्षा कर धनराशि अन्तरित कराना सुनिश्चित करें।
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद–कौशाम्बी को इस आशय से कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में अपना व्यक्तिगत ध्यान देते हुये सामुदायिक शौचालयो को स्वयं सहायता समूह को हस्तगत करायें एवं सम्बन्धित स्वयं सहायता समूह के 06 माह के मानदेय का भुगतान कराने का कष्ट करें।
3. जिला विकास अधिकारी/उपायुक्त (स्वतः–रोजगार) महोदय, कौशाम्बी इस अनुरोध के साथ कि अवशेष सामुदायिक शौचालयों को तत्काल स्वयं सहायता समूहो को हस्तगत कराने का कष्ट करें।
4. उप निदेशक (पं0) महोदय, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
5. मुख्य विकास अधिकारी महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
6. जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

30/06/2021

जिला पंचायत राज अधिकारी,
o/c कौशाम्बी